हिमाचल प्रदेश राज्य में एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) हिमाचल प्रदेश राज्य में विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों से निम्नलिखित स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करते हैं:

क्रम सं.	तेल कम्पनी	स्थान (जहाँ लागू हो, वहाँ स्थानीय विवरण के साथ)	ग्राम पंचायत	ब्लॉक	जिला	श्रेणी**	बाजार का प्रकार/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप–रूर्बन/ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रीय वितरक	प्रतिभूति राशि (₹ लाख में)	मार्केटिंग प्लान
1	बीपीसी	श्री नैनादेवी	श्री नैनादेवी	श्री नैनादेवी	बिलासपुर	एसटी	दुर्गम	2	2017–18
2	बीपीसी	गलोड़खास/लहड़ा	गलोड़खास/लहड़ा	नादौन	हमीरपुर	ओबीसी (महिला)	दुर्गम	3	2017–18
3	बीपीसी	सरोत्री	सरोत्री	नगरोटा बगवां	कांगड़ा	ओपन (महिला)	दुर्गम	4	2017–18
4	बीपीसी	तुन्नन	तुन्नन	निरमण्ड	कुल्लू	ओपन (महिला)	दुर्गम	4	2017–18
5	बीपीसी	जंजैहली	जंजैहली	सिराज	मण्डी	ओबीसी (महिला)	दुर्गम	3	2017–18
6	बीपीसी	गढ़ों	शदयाना	सोलन	सोलन	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
7	बीपीसी	सतौन	सतौन	कमराऊ	सिरमौर	एससी	दुर्गम	2	2017–18
8	बीपीसी	जलोग	ओगली	सुन्नी	शिमला	ओपन (महिला)	दुर्गम	4	2017–18
9	बीपीसी	मैढ़ी खास	मैढ़ी खास	अम्ब	ऊना	ओबीसी	दुर्गम	3	2017–18
10	बीपीसी	ऊहल	ऊहल	बमसन (टौंणी देवी)	हमीरपुर	ओबीसी	ग्रामीण	3	2017–18
11	बीपीसी	धर्मपुर	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी	एससी	ग्रामीण	2	2017–18
12	बीपीसी	नेरवा	नेरवा	चौपाल	शिमला	ओपन	ग्रामीण	4	2017–18
13	एचपीसी	भरोली कलां	भरोली कलां	झंण्डुता	बिलासपुर	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
14	एचपीसी	मैहला	मैहला	मैहला	चम्बा	ओबीसी (जीपी)	दुर्गम	3	2017–18
15	एचपीसी	मालग (कांगू)	मालग (कांगू)	नादौन	हमीरपुर	ओपन (महिला)	दुर्गम	4	2017–18
16	एचपीसी	कोटला बेहर	कोटला बेहर	जसवां	कांगड़ा	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
17	एचपीसी	घरोट	घरोट	गोहर	मण्डी	एससी	दुर्गम	2	2017–18
18	एचपीसी	सरस्वती नगर	सावड़ा सरस्वती नगर	जुब्बल कोटखाई	शिमला	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
19	एचपीसी	हुरला	हुरला	कुल्लू	कुल्लू	एससी	दुर्गम	2	2017–18
20	एचपीसी	संगड़ाह	संगड़ाह	संगड़ाह	सिरमौर	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
21	एचपीसी	कोटला	कोटला	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	ओबीसी	ग्रामीण	3	2017–18
22	एचपीसी	चौंतड़ा	चौंतड़ा	चौंतड़ा	मण्डी	ओबीसी (महिला)	ग्रामीण	3	2017–18
23	एचपीसी	माजरा	माजरा	पांवटा	सिरमौर	ओपन	ग्रामीण	4	2017–18
24	आईओसी	कोठुआं (संधोल)	कोठुआं	धर्मपुर	मण्डी	ओपन (महिला)	ग्रामीण	4	2017–18
25	आईओसी	सराहन	सराहन	रामपुर	शिमला	ओपन (महिला)	ग्रामीण	4	2017–18
26	आईओसी	सैंज	सैंज	ठियोग	शिमला	एससी	ग्रामीण	2	2017–18
27	आईओसी	सराहन कलां	सराहन	पछाद	सिरमौर	ओबीसी	ग्रामीण	3	2017–18
28	आईओसी	घुलेई	घुलेई	तीसा	चम्बा	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
29	आईओसी	चिन्तपुर्णी	चिन्तपुर्णी	अम्ब	ऊना	ओपन	ग्रामीण	4	2017–18
30	आईओसी	लध्यानी	लध्यानी	घुमारवीं	बिलासपुर	ओबीसी	दुर्गम	3	2017–18
31	आईओसी	बरठीं	बरठीं	झंण्डुता	बिलासपुर	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
32	आईओसी	बकलोह	बकलोह	भटियात	चम्बा	ओपन (महिला)	दुर्गम	4	2017–18
33	आईओसी	कक्कड़	कक्कड़	बमसन (टौंणी देवी)	हमीरपुर	ओपन (सीसी)	दुर्गम	4	2017–18
34	आईओसी	समतानाकलॉ	समतानाकलॉ	बिझड़ी	हमीरपुर	ओपन (जीपी)	दुर्गम	4	2017–18
35	आईओसी	कश्मीर	कश्मीर	नादौन	हमीरपुर	ओबीसी	दुर्गम	3	2017–18
36	आईओसी	बड़ुखर	बड़ुखर	फतेहपुर	कांगड़ा	एससी	दुर्गम	2	2017–18
37	आईओसी	जरी	जरी	कुल्लू	कुल्लू	ओबीसी	दुर्गम	3	2017–18
38	आईओसी	चैलचौक	चैलचौक	गोहर	मण्डी	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
39	आईओसी	थुनाग	थुनाग	सिराज	मण्डी	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
40	आईओसी	पांगणा	पांगणा	करसोग	मण्डी	एससी (जीपी)	दुर्गम	2	2017–18
41	आईओसी	खांगटा	टिक्कर	रोहडू	शिमला	एससी (महिला)	दुर्गम	2	2017–18
42	आईओसी	नोहरा	नोहरा धार	संगड़ाह	सिरमौर	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
43	आईओसी	टापरी	टापरी	निचार	किन्नौर	एसटी (महिला)	दुर्गम	2	2017–18
44	आईओसी	भरारी	भरारी	घुमारवीं	बिलासपुर	ओबीसी	दुर्गम	3	2017–18
45	आईओसी	नम्होल	नम्होल	नम्होल	बिलासपुर	ओपन	दुर्गम	4	2017–18
46	आईओसी	संसारपुर टेरेस	रिडी कुठेरा	जसवां	कांगड़ा	ओबीसी (महिला)	दुर्गम	3	2017–18

**प्रयुक्त नामावली निम्नलिखित प्रकार से है:–

ओपन – खुली श्रेणी
एससी/एसटी – अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी
ओबीसी – अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
एससी/एसटी (जीपी) – रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक जो एससी/एसटी श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (जीपी) – रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
ओपन (जीपी) – रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक जो खुली श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (पीएच) – शारीरिक विकलांग (दिव्यांग जन) जो एससी/एसटी श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (पीएच) – शारीरिक विकलांग (दिव्यांग जन) जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
ओपन (पीएच) – शारीरिक विकलांग (दिव्यांग जन) जो खुली श्रेणी में आते हैं।
ओपन (सीसी) – संयुक्त श्रेणी जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) व स्वतन्त्रता सेनानी (एफएफ) जो खुली श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (महिला) – महिलाएँ जो एससी/एसटी श्रेणी में आती हैं।
ओबीसी (महिला) – महिलाएँ जो ओबीसी श्रेणी में आती हैं।
ओपन (महिला) – महिलाएँ जो खुली श्रेणी में आती हैं।

1. एलपीजी वितरक के चयन हेतु पात्रता–मापदंड पर विस्तृत दिशानिर्देश, एलपीजी गोदाम/एलपीजी गोदाम के लिए भूमि की आधारभूत संरचना सम्बन्धी आवश्यकताओं, शोरूम हेतु भूमि/तैयार शोरूम, सिलेंडरो की होम–डिलीवरी के लिए आधारभूत संरचना इत्यादि सहित चयन–प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एलपीजी वितरको के चयन के लिए विवरणिका में दी गई है, जिसे किसी भी तेल कंपनी अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल की वेबसाइट– **www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in, www.hindustanpetroleum.com** से डाउनलोड किया जा सकता है। विवरणिका वेबसाइट: **www.lpgvitarakchayan.in** से भी डाउनलोड की जा सकती है।
2. शहरी वितरक, रुर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक या दुर्गम क्षेत्रीय वितरक (जो भी लागू हो) के तौर पर चयन हेतु आवेदन करने के इच्छुक तथा पात्रता–मापदण्डों को पूरा करने वाले सभी व्यक्ति वेबसाइट: **www.lpgvitarakchayan.in** पर लॉग ऑन कर स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत होने पर उन्हें वेबसाइट पर लॉग इन कर सभी संदर्भों में अपेक्षित विवरणों को भरना होगा तथा दिनांक **12.09.2017** को या इससे पहले 17.00 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व, उम्मीदवारों को अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतिलिपियां अलग–अलग फाइलों में अपलोड करनी होगी, तथा वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड सुविधा के माध्यम से लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। शहरी वितरक, रुर्बन वितरक, ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के लिए लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का विवरण नीचे तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है:

तालिका 1– शहरी वितरक एवं रूर्बन वितरक स्थानों के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

श्रेणी	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क
ओपन श्रेणी	₹ 10,000 (दस हजार रुपये मात्र)**
ओबीसी	₹ 5,000 (पाँच हजार रुपये मात्र)
एससी/एसटी	₹ 3,000 (तीन हजार रुपये मात्र)

** विज्ञापन/अधिसूचना में उल्लिखित **शहरी वितरक एवं रूर्बन वितरक** स्थानों के अंतर्गत ओपन श्रेणी के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 3,000 (तीन हज़ार रुपये मात्र) जमा कर सकते हैं। तथापि, वे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से संबंध रखते हैं किंतु "ओपन" श्रेणी स्थानों के लिए आवेदन कर रहें हैं, को "ओपन" श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

तालिका 2– ग्रामीण वितरक स्थानों तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक स्थानों के लिए अप्रतिदेय आवेदन शुल्क

श्रेणी	अप्रतिदेय आवेदन शुल्क
ओपन श्रेणी	₹ 8,000 (आठ हजार रुपये मात्र)**
ओबीसी	₹ 4,000 (चार हजार रुपये मात्र)
एससी/एसटी	₹ 2,500 (दो हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

** खुली श्रेणी **ग्रामीण वितरक तथा दुर्गम क्षेत्रीय वितरक** स्थानों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु. 2,500 (दो हज़ार पांच सौ रुपये मात्र) जमा कर सकते हैं। तथापि, वे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से सम्बंध रखते हैं किंतु "ओपन" श्रेणी स्थानों के लिए आवेदन कर रहें हैं, को "ओपन" श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू आवेदन शुल्क जमा करना होगा।

3. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे विस्तृत जानकारी के लिए विवरणिका देखें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के संबंध में, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल **www.lpgvitarakchayan.in** पर उपलब्ध 'आवेदकों के लिए यूज़र मैनुअल–एलपीजी वितरक चयन' को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
4. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात्, जब तक मांगा ना जाएं, किसी भी कार्यालय में कोई भी दस्तावेज या आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भौतिक रूप में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में, यदि लॉट्स के ड्रॉ में उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो चयनित उम्मीदवार को सत्यापन के समय लागू निर्धारित पात्रता संबंधी प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। रक्षा कार्मिक श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को विवरणों के फील्ड सत्यापन के समय महानिदेशालय पुनर्स्थापन (डीजीआर) से जारी मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करना होगा। विस्तृत विवरण के लिए कृपया विवरणिका देखें।
5. **सामान्य**
   क. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. कोई कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधन करने अथवा आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का सुरक्षित रखते हैं।
   ख. उम्मीदवार द्वारा विभिन्न स्थानों के लिए आवेदन किया जा सकता है, ऐसा करते समय, उन्हें प्रत्येक मामले में लागू अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ प्रत्येक स्थान के लिए पृथक–पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदक एक स्थान के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं।
   ग. यदि आवेदन–पत्र अथवा आवेदन के दौरान जमा कराये गये दस्तावेजों में बाद में आवेदक द्वारा दिया कोई कथन/घोषणा किसी भी समय/किसी भी स्तर पर छुपाई गई हो/गलत रूप में प्रस्तुत की गई हो/गलत या झूठी पाई गई हो, जो पात्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, तो आवेदन–पत्र को कोई कारण बताए बिना निरस्त किया जा सकता है और यदि आवेदक को एलपीजी वितरक (डिस्ट्रीब्यूटर) के रूप में नियुक्त किया जा चुका है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर दी जा सकती है तथा सम्बंधित तेल विपणन कंपनी को भुगतान किया गया अप्रतिदेय आवेदन शुल्क/जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवार/डिस्ट्रीब्यूटर का सम्बन्धित तेल विपणन कंपनी के विरूद्ध कोई दावा चाहे जो हो, स्वीकार नहीं होगा।
   घ. यह संभावित उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने के लिए केवल विज्ञापन/अधिसूचना है तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए प्रस्ताव नहीं है।
   ङ. उम्मीदवारों के साथ समस्त पत्र व्यवहार उनके पंजीकृत ई–मेल आईडी या पंजीकृत फोन नंबर पर ई–मेल तथा/अथवा एसएमएस द्वारा पोर्टल **www.lpgvitarakchayan.in** के माध्यम से किया जायेगा।
   च. यह पूरी तरह एक व्यापारिक प्रस्ताव है और यह सम्बन्धित तेल कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यापारिक जोखिम हैं और साथ ही यह किसी भी प्रकार के निश्चित लाभ या प्रतिलाभ की गारंटी नहीं देता।
   छ. यदि इस विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण तथा संमुखीन मातृभाषा संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है तो इसके मातृभाषा संस्करण में प्रस्तुत निर्देश/जानकारी प्रभावी होगी।
   ज. यदि वेबसाइट **www.lpgvitarakchayan.in** तथा इस विज्ञापन/अधिसूचना में दिए गए विवरणों में विसंगति पाई जाती है तो प्रकाशित विज्ञापन/अधिसूचना में दी गई जानकारी प्रभावी होगी।
   झ. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. आवेदक के बैंक खाते/डेबिट कार्ड खाते/क्रेडिट कार्ड खाते से काटी गई किसी भी राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जो सम्बंधित तेल कंपनी के सम्बद्ध बैंक खाते में अंतरित या जमा नहीं की गई है।
   ञ. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि., भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. आवेदक द्वारा उसके बैंक खाते/डेबिट कार्ड खाते/क्रेडिट कार्ड खाते से आवेदन हेतु ऑनलाइन भुगतान की गई किसी अतिरिक्त राशि को वापस लौटाने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

शोध अधिकारियों के इस्तीफे से पढ़ाई बंद

- आईआईएचएस में शिक्षा ग्रहण रहे छात्रों की समस्या का नहीं निकला समाधान
- विश्वविद्यालय कुलपति से 14 तक मांगी राहत

■ सिटी रिपोर्टर, शिमला

प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन विवि के हिमालयन एकीकृत अध्ययन शोध संस्थान के छात्रों की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा है। संस्थान के 12 शोध अधिकारियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद से इस संस्थान में छात्रों की कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। विवि कुलपति ने छात्रों को दो दिनों के भीतर कक्षाओं को लगाने के लिए अधिसूचना जारी करने की बात कही थी, लेकिन विवि प्रशासन यह अधिसूचना जारी नहीं कर पाया। छात्रों की कक्षाएं न लगने से अब छात्र और अभिभावक परेशान हो गए हैं। छात्रों ने विवि कुलपति को कक्षाएं सुचारू रूप से लगाने के लिए और विभाग से जुड़ी अन्य मांगों को पूरा करने के लिए अब 14 अगस्त का समय दिया है। अगर इस तय समय के भीतर विवि कुलपति छात्रों की मांगों का समाधान नहीं करते हैं, तो विभाग में शिक्षा ग्रहण कर छात्र और उनके अभिभावक भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे। शनिवार को एक बार फिर से आईआईएचएस, जो अब मल्टी डिसिप्लिनरी विभाग बन चुका है, के छात्र विवि कुलपति से मिले। छात्रों ने एक ओर जहां कुलपति को छात्रों की कक्षाएं लगाने के लिए विभाग के शोध अधिकारियों को उनकी मांगों के अनुसार सहायक प्रोफेसर पदनाम देने की मांग की, वहीं नए बने विभाग में चेयरपर्सन की तैनाती की मांग भी उठाई। छात्रों ने कुलपति प्रो. राजिंद्र सिंह चौहान से मांग की है कि एमएससी एन्वायरनमेंट साइंस और एमबीए रूरल डिवेलपमेंट में डीन फैकल्टी की तैनाती की मांग उठाई। छात्रों ने कुलपति से कहा कि जिन शोध अधिकारियों ने इस संस्थान में चल रहे कोर्सेज के पांच बैच पासआउट किए हैं, उन्हें अब शिक्षक का दर्जा देकर उन्हीं से छात्रों की कक्षाएं लगवाई जाएं। अन्य मांगों में छात्रों ने विभाग की पीएचडी सीटों की अधिसूचना जारी करना, कम्प्यूटर लैब व कक्षाओं की मरम्मत की मांग उठाई। छात्रों का कहना है कि संस्थान को विभाग का दर्जा मिलने के बाद इसमें फैकल्टी और डीन की नियुक्ति को लकेर अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिस पर संबंधित शाखा पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

कड़ा कदम उठाने को तैयारी

विवि में आईआईएचएस संस्थान के 12 शोध अधिकारियों को इस्तीफे दिए दो सप्ताह का समय होने वाला है, लेकिन विवि मामले को नहीं सुलझा पाया है। अब विभाग के 194 छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर और विवि प्रशासन के रैवये को लेकर कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। इसके लिए विवि को 14 अगस्त तक का समय दिया गया है।

हिमाचल हाई कोर्ट करेगा 74 पदों के लिए भर्ती

शिमला — हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट विभिन्न पदों के लिए भर्ती आयोजित करवा रहा है। हाई कोर्ट विभिन्न श्रेणियों के 74 पदों के लिए भर्ती करेगा। इन पदों के लिए 21 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि जनजातीय क्षेत्रों के उम्मीदवार पहली सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। इन भर्तियों में क्लर्क के 29 पद, स्टेनो टाइपिस्ट के 10, जजमेंट राइटर के दो, जूनियर आफिस असिस्टेंट के दो, व प्रोसेस सर्वर के 31 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। साथ ही उम्मीदवारों को एक्नॉलिजमेंट के साथ फीस की एक कापी हाई कोर्ट को 10 सितंबर तक स्पीड पोस्ट व रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजनी होगी। आवेदकों को परीक्षा संबंधी जानकारियां एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोर्ट द्वारा अलग से डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। एडमिट कार्डों का फॉर्मेट ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। वहीं परीक्षा के समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से उम्मीदवारों को जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

अनुबंध नहीं, रेगुलर हो तैनाती

पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी महासंघ ने सरकार से की मांग

- केंद्रीय पैटर्न पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आग्रह

■ स्टाफ रिपोर्टर, शिमला

प्रदेश में सभी कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध की बजाय नियमित आधार पर की जाए और सभी राज्यों के लिए केंद्रीय पैटर्न पर सातवां वेतन आयोग लागू किया जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल कर्मचारी महासंघ (मुख्यालय) ने सरकार से उठाई है। महासंघ के सलाहकार प्रताप सिंह ठाकुर ने कहा है कि जो कर्मचारी लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित कर नियुक्त किया जा रहे हैं, उनको अनुबंध के बजाय नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए अनुबंध प्रथा पूरी तरह से बंद की जाए, अन्यथा अफसरों को भी अनुबंध आधार पर लगाया जाए। जो कर्मचारी 2003 के बाद नियुक्त किए गए हैं, उनको जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) से जोड़ा जाए। सीपीएफ से केंद्र व राज्य सरकारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें कर्मचारी के बराबर ही सरकारों को भी हिस्सा डालना पड़ता है। वहीं शेयर मार्केट में इस राशि को लगाने से सरकार का वित्तीय संकट बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में समान काम समान वेतन की पद्धति को अपनाकर कर्मियों की जीपीएफ कटौती होनी चाहिए। प्रताप सिंह ठाकुर ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में केंद्रीय पैटर्न का अनुसरण किया है। वहीं महासंघ ने सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चली आ रही विसंगति को भी दूर करने की मांग की है। वर्तमान में डाक्टरों व अधिकारियों आदि की सेवानिवृत्ति आयु 60 से लेकर 65 साल तक की है। महासंघ ने कहा है कि इस विसंगति को तत्काल दूर किया जाए।

वशिष्ठ ही रहेंगे पेंशनरों के प्रधान

शिमला — नए पदाधिकारियों के चयन को लेकर पिछले कुछ दिनों से पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन में चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। सर्वसम्मति से एचआर वशिष्ठ को एसोसिएशन का प्रधान चुना गया है, जबकि जनरल सेक्रेटरी हरिचंद गुप्ता, जेएन निराला व जेके नड्डा को वरिष्ठ उपप्रधान चुना गया है। नई कार्यकारिणी के चयन को लेकर ही एसोसिएशन में विवाद चल रहा था जिसमें एसोसिएशन दोफाड़ होती दिखाई दे रही थी। अब मामला सुलझ गया है।

साहित्यकारों के मानदेय में बढ़ोतरी करे सरकार

■ दिव्य हिमाचल ब्यूरो, बिलासपुर

- पत्रकार महासंघ ने मुख्यमंत्री से किया आग्रह

सेमिनारों, कवि सम्मेलनों और अन्य साहित्य समारोहों के लिए आमंत्रित किए जाने वाले साहित्यकारों के मानदेय में उपयुक्त बढ़ोतरी की जाए। यह आग्रह हिमाचल प्रदेश राज्य पत्रकार महासंघ ने सरकार से किया है। वहीं महासंघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पिछले बजट भाषण में नए वर्ष से एक करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके पत्रकार कल्याण योजना को उपलब्ध करवाने की घोषणा का स्वागत किया है। साथ ही महासंघ ने मांग की है कि इस योजना के कुछ नियमों में महासंघ को विश्वास में लेकर आवश्यक सुधार करके शीघ्र उचित कदम उठाए जाएं। पत्रकार महासंघ के राज्य प्रधान जयकुमार ने कहा कि जिस समय मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया था, उस समय इस कोष को संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री ने 10 लाख की राशि स्वीकृत की थी ।

स्कूलों में बेहतर भोजन व्यवस्था पर सौंपी जिम्मेदारी

एक टीचर के हवाले मिड-डे मील

■ कार्यालय संवाददाता, ऊना

- प्रदेश शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों को दिए निर्देश

प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अब दोपहर के समय दिए जाने वाले मिड-डे मील पर नजर रखने के लिए एक विशेष शिक्षक की तैनाती करनी पड़ेगी। स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से एक शिक्षक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि बच्चों को बेहतर मिड-डे मील की सुविधा मिल सके। हालांकि सरकारी स्कूलों में इससे पहले भी बच्चों को बेहतर मिड-डे मील मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन पहले से व्यस्था को और सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से उच्च शिक्षा उपनिदेशक को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशानुसार पत्र संख्या ईडीएन-एच(ईई)(4)4-17/2016-2017 के तहत स्कूल में मिड-डे मील कार्यक्रम के तहत स्कूल प्रबंधन कमेटी द्वारा मिड-डे मील इंचार्ज की तैनाती की जाए। इंचार्ज की तैनाती दो साल के लिए की जाएगी। यदि किसी स्कूल में केवल मात्र एक ही शिक्षक है, तो उस शिक्षक को नया इंचार्ज रखा जाएगा। वहीं इंचार्ज को हर रोज मिड-डे मील की जानकारी एमडीएमएस-एआरएमएम पोर्टल पर हर रोज भेजनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर-15544 भी जारी किया है। इसमें कितने बच्चों को मिड-डे मील वितरित किया गया। बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है या नहीं और अन्य डिटेल भी भेजनी होगी। बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहालों को दोपहर के समय मिड-डे मील मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन कई स्कूलों में मिड-डे मील की शिकायतें पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रवैया अपनाया था। उधर, इस बारे में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ऊना हंसराज गुलेरिया ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलने के बाद स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।